

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 124 / 2022 राजस्व अपील

1. हरभजन पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासी ग्राम राणोली तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।

अपीलान्त

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बहरावण्डा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार बहरावण्डा दिनांक 24.05.2022 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम

हरभजन मुकदमा संख्या 101 / 2022 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम)

उपस्थिति : श्री उमेश गौड, अधिवक्ता अपीलान्त उपस्थित।

: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:— निर्णय :—

दिनांक: 19.06.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्त के विरुद्ध पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बहरावण्डा के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की गई कि अपीलान्त ने ग्राम राणोली के खसरा नम्बर 157 गै. मु. चरागाह पर सम्वत 2079 में काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये निर्णय दिनांक 24.05.2022 पारित कर अपीलान्त को तीन माह के सिविल कारावास, बेदखली व पेनल्टी से दण्डित करने के आदेश पारित कर दिये। उक्त निर्णय दिनांक 24.05.2022 से व्यथित होकर अपीलान्त द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्त ने निवेदन किया कि तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.05.2022 विधि विरुद्ध एवं न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्त की ओर से इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम राणोली तहसील बहरावण्डा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 157 रकबा 57 एयर पर से अपीलान्त शपथकर्ता ने अपना कब्जा हटा लिया है। अब इस भूमि पर अपीलान्त शपथकर्ता का कोई कब्जा नहीं है। अपीलान्त शपथकर्ता भविष्य में भी उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं करेगा। अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा अपील अपीलान्त स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्त ने ग्राम राणोली तहसील बहरावण्डा में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 157 रकबा 0.57 है. पर मकान व पाटोल बनाकर एवं पेड लगाकर कब्जा कर लिया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विधि अनुसार कार्यवाही कर अपीलान्त को 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा व पेनल्टी से दण्डित किया गया है। अपीलान्त उक्त भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपील अपीलान्त खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्त द्वारा ग्राम राणोली तहसील बहरावण्डा स्थित चरागाह भूमि 157 रकबा 0.57 है. पर से अपना कब्जा पूर्ण रूप से हटा लिया जाना, उक्त भूमि पर वर्तमान में अपीलान्त का कब्जा नहीं होना तथा भविष्य में उक्त भूमि पर कब्जा नहीं किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि ग्राम राणोली तहसील बहरावण्डा में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 157 रकबा 0.57 है. पर कब्जा नहीं होने बाबत अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा सत्यापित किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.05.2022 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश दिनांक 24.05.2022 यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति के साथ अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ट लेख भण्डार की जावे।



निर्णय आज दिनांक 19.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( सुरेश कुमार )

अति० जिला कलक्टर ,दौसा

( सुरेश कुमार )

अति० जिला कलक्टर ,दौसा